भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना भवन, लोधी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।

परामर्शिका

एफ.सं.14/0005/202324-एम आर एंड सी

दिनांक 24-07-2025 ।

विषय: जून 2025 के मासिक अंक जुलाई 2025 माह में प्रस्तुत करने हेतु तिथि में विस्तार के संबंध में।

भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति -2020 के खंड-8.3 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि "सीबीसी के साथ सूचीबद्ध सभी प्रकाशन महीने के लिए अपनी प्रतियां (समाचार पत्रों के लिए न्यूनतम पच्चीस (25), छूट के मामले को छोड़कर, (4) साप्ताहिक के मामले में, दो (2) पाक्षिक के मामले में, एक (1) मासिक के मामले में, अगले महीने में सीबीसी को जमा करेंगे, ऐसा न करने पर इन समाचार पत्रों के विज्ञापन रोक दिए जाएंगे।

2. यह देखा गया है कि इस महीने कई प्रकाशनों ने अंतिम तिथि यानी 20 तारीख तक अपने मासिक अंक जमा नहीं किए हैं। सीबीसी के पैनल में शामिल जिन प्रकाशनों ने जून 2025 का अपना मासिक अंक जमा नहीं किया है, वे 24-07-2025 से अपने लॉगिन क्षेत्र से टोकन जेनरट करने के बाद 28-07-2025 (शाम 6:00 बजे तक) राज्यों की राजधानियों में स्थित पीआईबी कार्यालयों / नई दिल्ली स्थित सीबीसी मुख्यालय में ऐसा कर सकते हैं।

3. कृपया ध्यान दें कि यह केवल एक बार की छूट है और अगले महीने से इस संबंध में 06.09.2025 को जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार नियमित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

गौरव खरे

(गौरव खरे)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

कृपया पीआईबी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

आद हेतु।

Government of India
Ministry of Information and Broadcasting
Central Bureau of Communication
Soochna Bhawan, Lodhi Road, CGO complex, New Delhi

ADVISORY

Dated 24-07-2025

F.No. 14/0005/202324-MR&C

Subject: Date of extension for submission of monthly issues of June, 2025 in the month of July, 2025-reg

References is invited to clause – 8.3 of the Print Media Advertisement Policy of Government of India- 2020, which states that "All publications empanelled with CBC shall submit their copies for the month (minimum twenty five (25) for newspapers, except in case of relaxation, four (4) in case of weeklies, two (2) in case of fortnightlies, one (1) in case of monthlies) to CBC in the subsequent month failing which advertisements will be stopped to these newspapers.

2. It has been observed that this month many publications have not submitted their monthly issues till last date i.e 20th. In view of the publications empanelled with CBC who have not submitted their monthly issue of June 2025 may do so at PIB offices situated at State Capitals/CBC Headquarters at New Delhi by 28-07-2025(till 6:00 PM) after generating their tokens from their login area w.e.f 24-07-2025.

3. **It may please be noted that this is only a one times relaxation and next month onwards regular process as per advisory issued on 06.09.2025 in this regard will be strictly followed.**

This issue with the approval of the competent authority.

24/7

(Gaurav Khare)
Director

Copy to:
All Regional offices of PIB for necessary actions at their end please